

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2021 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध/नहर की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7317 दिनांक 14.10.2021 द्वारा आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर द्वारा चाहे जाने पर अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली के पत्रांक 1956 दिनांक 14.10.2021 द्वारा तहसील टोंक के 44 कार्य, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना, टोंक के पत्रांक 1430 दिनांक 27.08.2021 द्वारा तहसील टोंक के 35 कार्य एवं तहसील उनियारा के 23 कार्य के प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को भिजवाये गये थे।

संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ8(17)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/21/14080-86 जयपुर, दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रस्ताव/कार्यों में से अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली, तहसील टोंक के 44 कार्य हेतु राशि रु. 149.34 लाख, अधिशाषी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना, टोंक, तहसील टोंक के 35 कार्य हेतु राशि रु. 107.90 लाख एवं तहसील उनियारा के 23 कार्य हेतु राशि रु. 56.26 लाख कुल 102 कार्यों की मरम्मत हेतु कुल राशि रु. 313.50 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड तैरह लाख पचास हजार मात्र) की राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार सशर्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

अतः उक्त 102 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि रु. 313.50 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड तैरह लाख पचास हजार मात्र) की संलग्न सूची अनुसार इस कार्यालय द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

1. स्वीकृति जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालना किया जावेगा।
2. कार्यकारी एजेन्सी विभाग द्वारा तात्कालिक रेस्टोरेशन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी की जायेगी। कार्यकारी एजेन्सी एवं अन्य विभागों द्वारा विभागीय निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु वांछित सामग्री यथा सीमेंट, रोडी, ईट आदि के लिए यदि सामग्री प्रदाताओं के साथ वार्षिक दर संविदा की हुई है तो उन दरों एवं शर्तों पर सामग्री क्रय की जा सकती है। दर संविदा के तहत सामग्री की दरें तात्कालिक निविदा दरों से सामान्यतया: कम होगी।
3. बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के रेस्टोरेशन में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक रेस्टोरेशन ही किया जाना है न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्यकारी एजेन्सी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावेगा कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही SDRF मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
5. प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा होना आवश्यक है।
6. उपखण्ड स्तरीय समिति सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों/कार्यों का निरीक्षण करवाया जाकर कार्य कराये जावें।
7. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है।
8. कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चितता करें कि प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जनसेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है। इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा तथा प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जावेगा ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
10. कार्यकारी एजेन्सी विभाग द्वारा इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार सहायता विभाग द्वारा निर्धारित दर से गणना करते हुए तुरन्त जारी की जाकर इस कार्यालय को भेजी जावेगी। इसके पश्चात इस कार्यालय द्वारा बजट की ऑनलाईन मांग की जावेगी। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार प्रस्ताव/कार्य एवं प्रस्तावित राशि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी विभाग की होगी।

11. बजट आवंटन होने पर इस कार्यालय द्वारा बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
12. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे। इस से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ कर लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
13. उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त एवं कार्य एस.डी.आर.एफ. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। भुगतान से पूर्व उपखण्ड स्तरीय समिति की रिपोर्ट भिजवाई जावेगी। समिति यह सुनिश्चित करे कि कार्य SDRF नोर्म्स अनुसार कराये गये हैं।
14. प्रस्तावित कार्यों में क्षति का मुख्य कारण बाढ़/अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, अतः इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाये।
15. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
16. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWF&AR एवं RTPP तथा समय-समय पर जारी नियम के अनुसार मान्य होगी।
17. प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 14080-86 दिनांक 28.10.2021 एवं परिपत्र क्रमांक 9851-52 दिनांक 27.07.2021 तथा एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स परिपत्र दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 10 की दिशा निर्देशों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों की पालना की जावेगी। पत्रों की प्रतियां संलग्न भिजवाई जा रही हैं।
18. कार्यों का भुगतान विभागीय पत्रांक 12199-231 दिनांक 03.10.2008 के अनुसार इस कार्यालय स्तर से प्राप्त बजट अनुसार कोष कार्यालय के मार्फत किया जावेगा।
19. SDRF नोर्म्स अनुसार केवल तात्कालिक प्रकृति के कार्य ही करवाये जावेंगे।
20. कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां उपरान्त ही नियमानुसार राशि का व्यय किया जायें।
21. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली, अधिशाषी अभियन्ता, नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना, टोंक द्वारा सहायता विभाग की उपरोक्त संलग्न प्रशासनिक स्वीकृति की पृष्ठांकित प्रति में दिये गये निर्देशों की पालना की जावेगी।

संलग्न:- सूची एवं पत्रों की प्रतियां।

(चिन्मय गोपाल)
जिला कलेक्टर,
टोंक

दिनांक :- 15/11/2021

क्रमांक :- आ.प्र.सहा./बाढ़/2021-22/7701-715

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. प्रमारी अधिकारी, लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक।
4. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना, टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी टोंक/उनियारा/देवली।
7. तहसीलदार, टोंक/उनियारा/देवली।
8. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड टोंक/उनियारा/देवली।

(मुसासी लाल शर्मा)
प्रमारी अधिकारी (सहायता),
अति० जिला कलेक्टर,
टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता), टोंक

क्रमांक :- आ.प्र.सहा./बाढ/2021-22/ 37

दिनांक :- 31/01/2022

संशोधित आदेश

इस कार्यालय द्वारा मानसून वर्ष 2021 में बाढ/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध/नहर की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत कार्य एवं पुर्नस्थापना के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 7700 दिनांक 15.11.2021 को जारी की गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति की सूची में त्रुटिवश क्र.सं. 13 एवं 14 में अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली के पत्रांक 3382 दिनांक 01.12.2021 एवं 3854 दिनांक 20.12.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सूची में क्र.सं. 13 एवं 14 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :-

सूची की क्र.सं.	क्षतिग्रस्त परिसम्पति का नाम प्रशासनिक स्वीकृति की संलग्न सूची में	संशोधित क्षतिग्रस्त परिसम्पति का नाम	अस्थाई पुर्नस्थापना हेतु दर राशि (लाखों में)
13	टोरडी सागर फीडर की आर. डी. 5441 मी0 से 9.425 किमी	टोरडी सागर साउथ केनाल की आर.डी. 4 से 8.00 किमी	2.82 लाख
14	टोरडी सागर साउथ केनाल की आर.डी. 4 से 8.00 किमी	टोरडी सागर साउथ केनाल की आर.डी. 0 से 4.00 किमी	2.64 लाख

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,
टोंक

क्रमांक :- आ.प्र.सहा./बाढ/2021-22/ 38-53
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 31/01/2022

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक।
4. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना, टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी टोंक/उनियारा/देवली।
7. तहसीलदार, टोंक/उनियारा/देवली।
8. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड टोंक/उनियारा/देवली।

(मुरारी लाल शर्मा)
प्रभारी अधिकारी (सहायता),
अति0 जिला कलेक्टर,
टोंक

Office of The Executive Engineer, Construction Division-III, Bisalpur Project, Deoli.**YEAR 2021-22****राज्य आपदा मोचन निधि मद (SDRF) अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति के स्वीकृत तकमीनें****Budget Head : 2245-02-122-(02)-(01)-21**

S.NO.	Name of Canal/Distributory/Minor	Sub Div.	Administrative Sanction Amount in lacs	Estimated Amount	Reg. No.
1	Urgent Repair & Restoration work of RMC (RD -210 to 5.00 KM.)	Aen I/III	3.30	310414.00	1
2	Urgent Repair & Restoration work of Rajmahal Disty & Minor No. 1, 3, 4 and Satwara Sub Minor	Aen I/III	6.60	659656.00	2
3	Urgent Repair & Restoration work of Rajmahal Minor No.2 of Rajmahal Disty of RMC.	Aen I/III	1.80	174152.00	3
4	Urgent Repair & Restoration work of RMC 24.50 to 27.50 km & Duni Disty & System	Aen I/III	2.04	203878.00	7
5	Urgent Repair & Restoration work of RMC 18.50 to 24.50 km & Banthli, Duni Disty 0 to 3 km & System	Aen I/III	3.75	374651.00	6
6	Urgent Repair & Restoration work of RMC RD 13.50 to 18.50 km. & Vijaigarh Minor.	Aen I/III	3.60	358987.00	5
7	Urgent Repair & Restoration work of RMC RD 5.00 to 13.50 km & its system	Aen I/III	5.28	483925.00	4
8	Urgent Repair & Restoration of Moti Sagar Dam	Aen. IV/III	1.50	149864.00	39
9	Urgent Repair & Restoration work of Left main Canal RD 13.50 to 18.65 km	Aen III/III	3.09	308865.00	22
10	Urgent Repair & Restoration work of RD 0 m to 5441 m. of Tordi Sagar South Canal Feeder.	Aen III/III	3.74	373963.00	15
11	Urgent Repair & Restoration of Tordi Sagar South Canal RD 5441 km to 9.425 km	Aen III/III	3.36	335980.00	14
12	Urgent Repair & Restoration of Tordi Sagar South Canal RD 4.00 km to 8.00 Km.	Aen III/III	2.82	281779.00	43
13	Urgent Repair & Restoration work of Tordi Sagar South Canal RD 0 to 4.00Km	Aen III/III	2.64	263218.00	13
14	Urgent Repair & Restoration work of Tordi Sagar South Canal RD 8 to 12.60Km	Aen III/III	3.24	323714.00	12
15	Urgent Repair & Restoration work of Barwas minor of Tordi Sagar South Canal	Aen III/III	1.50	149932.00	16
16	Urgent Repair & Restoration work of LMC RD 0 km to 4.50 km of Bisalpur Dam.	Aen III/III	3.24	323980.00	25
17	Urgent Repair & Restoration work of LMC RD 4.50 km to 10.50 km of Bisalpur Dam.	Aen III/III	4.14	413852.00	24
18	Urgent Repair & Restoration work of LMC RD 10.50 km to 13.50 km of Bisalpur Dam.	Aen III/III	2.28	227639.00	23
19	Urgent Repair & Restoration work of Banediya Minor of & its System.	Aen III/III	6.90	689932.00	21
20	Urgent Repair & Restoration of Bharni minor & Mahuwa minor	Aen. IV/III	2.28	227885.00	36

S.NO.	Name of Canal/Distributory/Minor	Sub Div.	Administrative Sanction Amount in lacs	Estimated Amount	Reg. No.
21	Urgent Repair & Restoration of Moti sagar main canal RD 0 to 6.00 km	Aen. IV/III	3.60	359983.00	40
22	Urgent Repair & Restoration of Motisagar main canal RD 6.00 to 17.00 km	Aen. IV/III	7.05	704685.00	38
23	Urgent Repair & Restoration of Tail Disty of 0 to 10.00 km & its system	Aen. IV/III	6.00	599757.00	35
24	Urgent Repair & Restoration of Tail Disty of 10.00 to 19.02 km & its system	Aen. IV/III	5.41	540989.00	41
25	Urgent Repair & Restoration of RMC Muglani Disty of RD 0 m to 4000 m.	Aen. IV/III	2.64	263116.00	42
26	Urgent Repair & Restoration of RMC Muglani Disty of RD 4000 m to 7100 m and minors	Aen. IV/III	4.38	435087.00	37
27	Urgent Repair & Restoration of RMC between 27.50 to 41.00 km	Reh. I/III	9.30	919331.00	28
28	Urgent Repair & Restoration of RMC Structure at RD 46.70 KM	Reh. I/III	7.95	792954.00	30
29	Urgent Repair & Restoration of RMC of Dakhiya minor RD 0 to 11660 m	Reh. I/III	5.55	539824.00	33
30	Urgent Repair & Restoration of RMC of Sakhana Disty & sakhana system	Reh. I/III	1.74	173049.00	31
31	Urgent Repair & Restoration of RMC Muglani minor at RD 0 km to 5.57 km.	Reh. I/III	2.28	221986.00	27
32	Urgent Repair & Restoration work of Dakhiya main canal between RD 0 to 5.50 km	Reh. I/III	3.30	328960.00	32
33	Urgent Repair & Restoration work of Dakhiya main canal between RD 7.50 to 12.00 km	Reh. I/III	2.70	263154.00	34
34	Urgent Repair & Restoration of Dardahind Disty.	Reh. I/III	3.90	389824.00	29
35	Urgent Repair & Restoration of Dardahind Disty. and minors	Reh. I/III	1.50	148808.00	44
36	Urgent Repair & Restoration work of Ralawta minor and Sub minor of LMC	Aen III/III	1.26	125976.00	18
37	Urgent Repair & Restoration work of Thata minor of LMC	Aen III/III	1.98	197961.00	17
38	Urgent Repair & Restoration work of Minor No 1 of Tordi Sagar South Canal	Aen III/III	1.11	110911.00	11
39	Urgent Repair & Restoration work of Minor No 2 of Tordi Sagar South Canal	Aen III/III	1.53	152993.00	10
40	Urgent Repair & Restoration work of Minor No 3 of Tordi Sagar South Canal	Aen III/III	1.68	167917.00	9
41	Urgent Repair & Restoration work of Minor No 6 of Tordi Sagar South Canal	Aen III/III	1.74	173949.00	8
42	Urgent Repair & Restoration work of Chainpura Minor of LMC of Bisalpur Dam.	Aen III/III	2.88	287947.00	20
43	Urgent Repair & Restoration work of Salgyawas Minor of LMC of Bisalpur Dam.	Aen III/III	1.26	125991.00	19
		Total :-	147.84	14661418.00	